

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 भू0 अ0प0 शक्ति (पटना)-01/2015-

41

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-30.05.2015

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, वरीय उप समाहर्ता, पटना को भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पटना के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17, 19 (2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।


2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 तथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन एवं उनके द्वारा प्रभार ग्रहण के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

5. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार झा),


सरकार के अपर सचिव।

संख्या-3/स्था0 भू0 अ0प0 शक्ति (पटना)-01/2015-

41

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-30.01.15

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-3/स्था0 भू0 अ0प0 शक्ति (पटना)-01/2015-

41

(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-30.01.15

प्रतिलिपि—आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।